पूर्व मध्य रेलवे

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.)
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना
पूर्व मध्य रेल, हरनौत,
नालंदा, (बिहार) – 803110

अधिसूचना

विषयः कारखाना कैन्टीन, सबारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत के संचालन हेतु अधिसूचना।

सबारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत के कारखाना परिसर में अवस्थित कारखाना कैन्टीन, कारखाना एवं कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुकों के लिए परिचालित है, जो वर्तमान में बाहरी पार्टी द्वारा अनुबंधित शर्तों के अधीन संचालित किया जा रहा है। यह कारखाना कैन्टीन कर्मचारी कल्याण निधि समिति सडिमका/हरनौत द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय एवं इसकी समीक्षा के आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि से आवंटित कोष से अनुबंधित (नकद राशि नहीं) एवं समिति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित किया जाता है।

इस कैन्टीन के संचालन के लिए कैन्टीन संचालन के अनुभवी एवं सक्षम इकाईयों, जो रेल से इतर बाहरी पार्टी के रूप में संबोधित किए जाएंगे, से समय–समय पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति, सडिमका/हरनौत द्वारा निर्धारित एवं जारी शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

कैन्टीन में उपलब्ध रहने वाले संभावित खाद्य सामग्रियों का मूल्य निर्धारण हेतु अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न मूल्य तालिका में दी गई सामग्रियों के दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे का उल्लेख आवेदक द्वारा किया जाय। यह भी इस शर्त के तहत है कि ब्रांडेड आयटम को छोडकर उक्त सभी खाद्य सामग्री के अनुमानित दर में 25 % से ज्यादा की दर स्वीकार्य नहीं होगा। ब्रांडेड आयटम MRP पर ही बिकी होगी।

उक्त सभी खाद्य सामग्री दर में वृद्धि के दिये गये Percentage (प्रतिशत) पर उक्त खाद्य सामग्री का दर, जिसका सबसे कम पाया जाएगा, उसका L-I हेतु निर्धारण किया जाएगा, जोकि इस शर्त के तहत होगा कि इस प्रतिशत पर खाद्य सामग्री का अलग–अलग जो मूल्य निर्धारित होगा उस पर राउंड अप फीगर में चार्ज किया जाएगा, अर्थात् 50 पैसे से कम की राशि को मूल्य में नहीं जोडा जाएगा एवं 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को एक रूपया मानते हुए मूल्य निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी एजेंसी द्वारा प्रस्तावित खाद्य सामग्री के मूल्य में यदि 05 प्रतिशत की वृद्धि का आवेदन दिया जाता है तो इसके आधार पर समोसा का प्रस्तावित मूल्य 06 रूपया की जगह 06 रूपया 30 पैसा होगा। अतः इसका मूल्य राउंड फीगर में 06 रूपया ही निर्धारित होगा। उसीप्रकार यदि मूल्य 15 प्रतिशत बढाया जाय तब समोसा का प्रस्तावित मूल्य रू. 06 रूपया 90 पैसा होगा जोकि राउंड फीगर में 07 रू. निर्धारित होगा।

1) उक्त सभी खाद्य सामग्री दर में वृद्धि के दिये गये Percentage (प्रतिशत) पर उक्त खाद्य सामग्री का दर, जिसका सबसे कम पाया जाएगा, उसका L-I हेतु निर्धारण किया जाएगा, एक से अधिक आवेदक का L-I एक समान पाया गया, तो इस स्थिति में उनमे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम में कैंटीन चलाने का दिये गये अनुभव में जिसका अनुभव ज्यादा होगा, उसी के आधार पर एजेंसी का निर्धारण किया जाएगा, यदि अनुभव भी एक समान पाया जायेगा तो उनमे जिसका अनुभव, नवीनतम (Latest) का होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी और यदि यह भी एक समान पाया गया तो अनुभव किस संस्था का है इस पर निम्न प्राथमिकता के आधार पर L-I का निर्धारण किया जायेगा।

(i) केन्द्र सरकार के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
(ii)राज्य सरकार के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
(iii)केन्द्रीय सरकार के उपक्रम के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
(iv)राज्य सरकार के उपक्रम के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव

Scanned by CamScanner

और यदि उपरोक्त भी L-I हेतु एक समान पाया जाता है तो L-I हेतु जिन आवेदकों के प्रस्ताव पात्र पाये जाते हैं तो उनमें L-I का निर्धारण उम्र के आधार पर तय किया जायेगा अर्थात जिसकी उम्र ज्यादा पायी जायेगी उसका L-I हेतु निर्धारण किया जायेगा।

2) L-I पर अंतिम निर्णय कर्मचारी हित निधि समिति के सचिव, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एवं सदस्य वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार/सडिमका/हरनौत द्वारा लिया जाएगा जिस पर अध्यक्ष कर्मचारी हित निधि समिति–सह–मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय का अनुमोदन वांछनीय होगा।

आप अपना प्रस्ताव उक्त संलग्न प्रोफार्मा पर जोकि पूर्णरूपेण भरा हुआ हो, को मुहरबंद लिफाफे में, अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण निधि समिति, सडिमका/हरनौत–सह–मुख्य कारखाना प्रबंधक, सबारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत, जिला–नालन्दा, पिन कोड–803110 के नाम दिनांक 25.06.2019 (अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से एक माह की तिथि) तक समय 15:00 बजे तक कार्मिक विभाग के सामने सील लगे बक्से में गिरा सकते है। इसके बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नही होगा तथा उसी दिन समय 16:00 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा उक्त सील लगे बक्से को खोला जाएगा एवं उसी समय सभी प्राप्त आवेदनों को खोला जाएगा।

अधिसूचना से संबंधित नियम एवं शर्तों को संलग्न किया जाता है।

संलग्नः यथोक्त।

(आई. डी. चौधरी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.)
सडिमका/हरनौत

सं0 ई/सीआरडब्ल्यू/एचआरटी/कारखाना कैंटीन दिनांक : 27.05.2019

प्रतिलिपि :

- मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/पू.म.रे./हाजीपुर : के सादर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय/सडिमका/हरनौत : सादर सूचनार्थ।
- उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/सडिमका/हरनौत
- कर्मचारी कल्याण निरीक्षक/सडिमका/हरनौत
- शाखा सचिव/ईसीआरकेयू/सडिमका/हरनौत
- अध्यक्ष/सचिव, एस.सी/एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एसोसिएशन/सडिमका/हरनौत
- सदस्य कारखाना कैन्टीन कमेटी/सडिमका/हरनौत
- संबंधित वरि. अनुभाग अभियंता/यांत्रिक/सडिमका/हरनौत : संबंधित बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/05/19

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.)
सडिमका/हरनौत

Scanned by CamScanner

कारखाना कैन्टीन, सडिमका/हरनौत के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तें

निम्नलिखित शर्तों के अधीन कारखाना कैन्टीन/सडिमका/हरनौत का संचालन किया जाना है:–

1. प्रथम बार अनुबंधित अवधि 1 (एक) वर्ष के लिए होगी जिसमें अवधि विस्तार सेवा–गुणवत्ता के आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक में लिया गया निर्णय अथवा अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण निधि समिति सडिमका/हरनौत सह मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय सडिमका/हरनौत के विवेकानुसार दिया जाएगा।

2- आवेदक के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम से कैंटीन चलाने का कम से कम 02 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है अगर एक से अधिक एजेंसी का L-I एक समान पाया गया, तो इस स्थिति में उनमें संबंधित एजेंसी के केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम के अधिन कैंटीन चलाने का दिये गये अनुभव में जिसका अनुभव ज्यादा होगा तो उसी के आधार पर L-I का निर्धारण किया जायेगा और यदि यह भी एक समान पाया जाता है तो उनमें जिसकी उम्र ज्यादा पायी जायेगी उसका L-I हेतु निर्धारण किया जायेगा। आवेदक द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान से जारी किया गया अनुभव प्रमाण–पत्र एवं जन्म तिथि के प्रमाण हेतु आवेदक को अपने आधार की स्वअभिप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. शर्तों के अधीन किए गए अनुबंध को 15 दिनों की पूर्व सूचना दे कर समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। संचालक को स्वेच्छा से संचालन छोड़ने के 6 (छः) माह पूर्व सूचना देनी होगी।

4. प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क के मद में रू. 1,000/– (एक हजार रूपये) मात्र निर्देशित विनिधान में जमा करना होगा जिसे संचालन प्रारंभ करने के 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अगला शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल (वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि) को जमा किया जायेगा। लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन होने/इससे संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होने के आधार पर शुल्क बढ़ाया घटाया जा सकता है।

5. LOA जारी होने के 15 दिन के अंदर कैन्टीन संचालन हेतु सुरक्षा राशि (Security money) के रूप में रू. 50,000/– (पचास हजार) रूपये ड्राफ्ट के माध्यम से संचालक द्वारा कर्मचारी कल्याण निधि/संचालन समिति के नाम निर्देशित खाते पर जमा करना होगा अन्यथा LOA रद्द किया जा सकता है। यदि संचालक द्वारा संचालन हेतु अनुमति तिथि से 6 (छः) माह के भीतर कैन्टीन संचालन का कार्य बंद किया जाता है तो जमा सुरक्षा राशि (रू. 50,000/–) जब्त कर ली जायेगी।

6. संचालन से संबंधित सभी प्रकार के लाइसेंस जो कैन्टीन संचालन हेतु बिहार सरकार एवं रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित है, प्राप्त कर कैन्टीन परिसर में प्रदर्शित करने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं की होगी। संचालन अवधि में न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कॉन्ट्रेक्ट ऑफ लेबर एक्ट में निहित सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं अधिनियम में वर्णित सभी रजिस्टर कैन्टीन में उपलब्ध रखने होंगे। इसमें किसी भी कमी के लिए संचालक जिम्मेवार होगा।
7. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अथवा राज्य सरकार के किसी भी खाद्य आपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामले में उसे निष्पादित कराने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी।

27/05/17

Scanned by CamScanner

8. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न किसी भी बिकी कर अथवा सेवा कर, जो भी देय हो, जमा करने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी।

9. संचालक द्वारा खाद्य एवं पेय सामग्री तैयार करने के लिए स्वीकृत किस्म (ब्राण्डेड नाम)/मानक उत्पाद का तेल, घी, चाय, काफी, अमूल दूध इत्यादि का उपयोग अनिवार्य होगा।

10. संचालक कैन्टीन में ग्राहकों के मांग के अनुसार चाय, कॉफी स्टैण्डर्ड क्वालिटी से बने कप/थर्मोकॉल अथवा मानक कप/गलास में आपूर्ति करेगा।

11. कैन्टीन में खाद्य सामग्री में जहॉ चीनी का उपयोग होता है वहॉ चीनी के एवज में सैकरीन अथवा अन्य समान–उपयोगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा।

12. संचालक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताजा (Clean & fresh) खाद्य सामग्री आपूर्ति करनी होगी।

13. कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित न्यूनतम मजदूरी कानून एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत शासित होंगे। इन्हें वेतन इत्यादि का भुगतान बैंक द्वारा करना अनिवार्य होगा।

14. कैन्टीन में कार्यरत् सभी कर्मियों को वर्दी एवं परिचय–पत्र जारी करना अनिवार्य होगा जिसके साथ वे प्रतिदिन प्रदर्शित स्थिति में कार्य पर रहेंगे।

15. कार्यरत सभी कर्मियों का पूर्ण विवरण (Bio-data) संचालक द्वारा रेल प्रशासन को जमा करना होगा तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना रेल प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

16. कार्य पर लगाये जाने वाले कर्मियों को इंगेज करने के पूर्व सिविल चिकित्साधिकारी से उनका आरोग्यता (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेल प्रशासन को मूल रूप में जमा करना होगा एवं समय–समय पर उनकी मेडिकल जॉच रेलवे नियमों के अनुसार करानी होगी।

17. कर्मियों का मेडिकल जॉच 3 (तीन) महीने पर एक बार आवधिक रूप से कराना होगा। मेडिकल जॉच की कार्यवाही संबद्ध कल्याण निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जिसका खर्च संचालक द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें विशेषतः संक्रामक बीमारी (टी.बी. इत्यादि) से ग्रसित नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रत्येक 3 (तीन) महीने पर प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।

18. कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों के लिए मानक इस प्रकार निर्धारित हैः–
 (i) प्रतिदिन स्वच्छ पोशाक पहनना अनिवार्य है।
 (ii) शारीरिक रूप से स्वच्छता मेन्टेन होने चाहिए।
 (iii) नाखून, दॉत एवं बाल स्वच्छ एवं मेन्टेन होने चाहिए।
 (iv) सिर पर जालीदार टोपी से बाल ढॅके होने चाहिए।
 (v) पान, गुटखा इत्यादि का प्रयोग सख्त रूप से मना है।
 (vi) परिचय पत्र (जो संचालक एवं कैन्टीन से सम्बद्ध कल्याण निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगा) प्रदर्शित स्थिति में गले में रहेगा।

Scanned by CamScanner

19. कैन्टीन परिसर की सफाई की जिम्मेवारी स्वयं संचालक की होगी एवं प्रत्येक शनिवार को वृहत् रूप से मेडिकेटेड वाशिंग अनिवार्य होगी।

20. उपभोक्ताओं द्वारा की गई विधिक परिवाद (Legal grievances) की स्थिति में कैन्टीन संचालक एजेंसी क्षतिपूर्ति देने को बाध्य होगी।

21. रेल प्रशासन एवं कैन्टीन कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा क्रमशः भवन, विद्युत, जल एवं सभी प्रकार के उपस्कर इत्यादि की सुविधा संचालन एजेंसी को प्रदान की जाएगी।

22. उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कॉकरी, फर्नीचर, फ्रिज, माइक्रोवेव, कीटरोधी यंत्र इत्यादि सामान (जो कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा आपूर्ति किए जाएँगे) की पावती रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संचालक द्वारा दी जाएगी।

23. आपूर्ति किए गए सभी सामग्रियों की सुरक्षा (गारंटी/वारंटी अवधि में) आपूर्तिकर्ता एजेंसी से मेन्टेनेंस कराने की जिम्मेदारी संचालक की होगी। सामग्रियों के क्षतिग्रस्त (टूट–फूट) होने पर क्षतिपूर्ति राशि रेल प्रशासन के निर्देशानुसार संचालक को कर्मचारी कल्याण निधि में जमा करना होगा। गायब होने की स्थिति में वास्तविक मूल्य देना होगा।

24. रसोई गृह में केवल कॉमर्शियल गैस कनेक्शन एवं सिलेन्डर प्रयोग करना अनिवार्य होगा। गैस कनेक्शन रेल प्रशासन की पहल पर संचालक को वितरक से दिलवाया जाएगा जिस पर व्यय एवं आगे गैस मूल्य संचालक को वहन करना होगा।

25. कैन्टीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण तथा उनकी गुणवत्ता एवं मूल्य की समीक्षा करने का अधिकार केवल कर्मचारी कल्याण निधि समिति/गठित उप समिति के पास सुरक्षित रहेगा। संचालक एजेंसी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा का ध्यान रखेगी जो किसी भी अवस्था में बाजार मूल्य के समतुल्य नहीं होगा।

26. मुख्यालय में आयोजित समारोह एवं बैठकों अथवा पी.एन.एम. इत्यादि के दौरान लंच/नाश्ता की व्यवस्था संचालक एजेंसी को करना होगा जिसका भुगतान रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

27. मुख्यालय में कैन्टीन के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जॉचोपरांत गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संचालक पर उचित आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा।

28. खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति कूपन के माध्यम से की जाएगी, जो सामग्री आपूर्ति के पूर्व जारी करना होगा। कूपन का प्रबंध संचालक द्वारा किया जाएगा जिस पर होने वाला व्यय संचालक स्वयं वहन करेगा। आपूर्ति किए जाने वाले सामान की कीमत वसूली की जिम्मेदारी भी स्वयं संचालक की होगी। देय किसी भी राशि की वसूली के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

29. कर्मचारियों द्वारा दूरभाष पर मांग करने पर उनके कार्यस्थल पर चाय/कॉफी/स्नैक्स/डेयरी प्रोडक्ट अथवा लंच की अवधि में खाना इत्यादि की आपूर्ति करनी होगी। संचालन समिति द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन कर्मचारियों के कार्यस्थल/कक्ष में चाय/कॉफी/स्नैक्स/डेयरी प्रोडक्ट की आपूर्ति अनिवार्य होगी।

30. शर्तों में संशोधन/नया जारी करने का अधिकार कर्मचारी कल्याण निधि समिति अथवा इसके अध्यक्ष (मु.का.प्र. महोदय) के पास अंतिम रूप से सुरक्षित रहेगा तथा L-I पर अंतिम निर्णय कर्मचारी कल्याण हित निधि समिति, सडिमका/हरनौत द्वारा लिया जाएगा।

27/05/19

Scanned by CamScanner

वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर निम्न प्रकार दंड का प्रावधान है:–

(I) कैन्टीन परिसर की साफ–सफाई में कमी, बेसिन/कुर्सी/टेबल गंदा रहने पर प्रत्येक बार अलग–अलग मदों में प्रत्येक के लिए रू. 200/– मात्र।
(II) सामग्रियों के माप के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने पर प्रति शिकायत (प्रमाणित होने पर) रू. 500/– मात्र।
(III) कार्यरत कर्मियों के कार्य अवधि में साफ–सफाई न रखने पर (दॉत, बाल, नाखून, वर्दी एवं सेविंग, पान गुटखा सेवन इत्यादि के लिए) प्रत्येक मद में रू. 200/– मात्र।
(IV) बिना कूपन के सामान बिक्री पर प्रति बार (प्रमाणित होने पर) रू. 500/– मात्र।
(V) रसोई गृह के अंदर साफ–सफाई नहीं होने पर प्रति निरीक्षण रू. 500/– मात्र।
(VI) खाद्य सामग्रियॉ खुली अवस्था में पाए जाने पर रू. 1500/– मात्र।
(VII) कीटरोधी यंत्र चालू अवस्था में नहीं रहने पर रू. 500/– मात्र।
(VIII) आपूर्ति किए गए सामान (जो गारंटी/वारंटी अवधि में है) का मेंटेनेंस आपूर्तिकर्ता से नहीं कराने पर रू. 1000/– मात्र।
(IX) वाटर प्यूरीफायर चालू अवस्था में नहीं पाए जाने पर रू. 1000/– मात्र।
(X) बासी/कच्ची सब्जी/खराब भेजन/खाद्य पदार्थ पाए जाने पर रू. 1000/– मात्र।
(XI) व्यावसायिक रसोई गैस की जगह पर घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर रू. 1500/– मात्र।
(XII) रसोई गैस की जगह पर कोयला/लकड़ी इत्यादि का ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर रू. 1500/– मात्र।
(XIII) बिजली हीटर उपयोग करने पर रू. 1500/– मात्र।
(XIV) आपूर्ति किए गए कुर्सी/टेबुल अथवा अन्य उपस्कर बर्तन आदि क्षतिग्रस्त होने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा तत्काल आकलित राशि एवं गुम होने पर वास्तविक मूल्य।
(XV) उपर्युक्त वर्णित के अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर आकलित अनुशासनहीनता अथवा अन्य क्षति के मामले में विवेकानुसार आदेशित दण्ड।

आर्थिक दण्ड राशि दो कार्यदिवसों में जमा नहीं करने पर संचालक द्वारा जमा सुरक्षा राशि से समायोजित कर ली जाएगी। सुरक्षा राशि किसी भी अवस्था में निर्धारित राशि रू. 50,000/– (पचास हजार रूपए) से कम नहीं होगी। इसे दण्ड में समायोजन करने के एक सप्ताह के अंदर सुरक्षा राशि मानदंड के अनुरूप पूरा करना आवश्यक है अन्यथा इसके लिए समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार अतिरिक्त दण्ड से अधिरोपित किया जाएगा।

27/05/17

(आई. डी. चौघरी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.)
सडिमका/हरनौत

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक 'अ'

मूल्य तालिका

सडिगका/हरनौत में स्थित कारखाना कैन्टीन हेतु खाद्य सामग्रियों की प्रस्तावित मूल्य तालिकाः–

क. सं.	सामग्री	प्रस्तावित दर
1	पूडी – 5, जलेबी – 2, सब्जी (300 ग्राम)	20/–
2	खास्ता कचौरी (प्रति पीस 60 ग्राम)	6/–
3	समोसा (प्रति पीस 60 ग्राम)	6/–
4	रसगुल्ला (प्रति पीस 40 ग्राम)	7/–
5	काला जामुन (प्रति पीस 40 ग्राम)	7/–
6	चाय (दूध 80 मि.ग्राम)	5/–
7	थाली – सादा खाना (शाकाहारी प्रति प्लेट 400 ग्राम) 1. (चावल 175 ग्राम, दाल, सब्जी, भूजिया, पापड एवं सलाद।) या 2. (रोटी – 03 पीस, हाफ प्लेट चावल, सब्जी, दाल, भूजिया, पापड एवं सलाद।)	30/–
8	बेसन लड्डू	5/–
9	स्पेशल थाली – (चावल 175 ग्राम, दाल, 02 सब्जी (पनीर एवं हरा सब्जी रसेदार) भूंजिया, पापड, दही, रसगुल्ला एवं सलाद।	45/–
10	रोटी प्रति पीस	4/–
11	चावल मात्र (प्रति प्लेट)	10/–
12	चावल मात्र (हाफ प्लेट)	5/–
13	दही (प्रति प्लेट 100 ग्राम)	10/–
14	चावल 175 ग्राम एवं दो पीस चिकेन या दो पीस मछली	50/–

प्रस्ताव

उक्त मूल्य तालिका में दी गई प्रस्तावित दर पर बढ़ाई गई प्रतिशत का विवरण
------- %

नोट :– उक्त प्रस्ताव में विवरण दिया जाना आवश्यक है यदि प्रस्तावित दर में कोई वृद्धि नहीं की जानी है तो नील का प्रस्ताव होना चाहिए अन्यथा बढाई गई प्रतिशत का विवरण दिया जाय।

यह घोषणा किया जाता है कि संबंधित अधिसूचना के अंतर्गत कारखाना कैन्टीन, सडिमका/हरनौत के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तें पढ कर समझ ली गई है, एवं अनुभव प्रमाणपत्र तथा आधार की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नः–(1) अनुभव प्रमाण–पत्र
(2) आधार की प्रति

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम
जन्म तिथि
आधार संख्या
फर्म का नाम
पता सहित
दिनांक

Scanned by CamScanner